न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)
पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या :— 333/2022
रजू दिनांक :— 17.08.2022

उनवान:—
1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्रप्रसाद उर्फ महेन्द्र कुमार
2. रविन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्रप्रसाद उर्फ महेन्द्र कुमार
3. बीना पुत्री महेन्द्रप्रसाद उर्फ महेन्द्र कुमार
4. पुनम पुत्री महेन्द्रप्रसाद उर्फ महेन्द्र कुमार
5. नवनीत पुत्र रविन्द्र समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम सिलारपुर तह0 नीमराना।

वादीगण/ अप्रार्थीगण।

बनाम

1. कमलादेवी बेवा पन्नालाल
2. सतीश पुत्र पन्नालाल
3. पवन पुत्र पन्नालाल
4. कृष्णा पुत्री पन्नालाल
5. प्रेम पुत्री पन्नालाल
6. अंजना पुत्री पन्नालाल
7. प्रदीप पुत्र शिवचरण
8. तेजपाल पुत्र शिवचरण समस्त जाति अहीर निवासी सलारपुर तह0 नीमराना
9. उपपंजीयक,नीमराना।
10. लैण्ड होल्डर तहसीलदार,नीमराना।

प्रतिवादीगण / प्रार्थीगण।

दावा बाबत घोषणात्मक विभाजन एंव हु0ई0दवामी अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर0टी0एक्ट0।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0।

उपस्थिति :— श्री जगमालसिंह यादव एड0 वादी/ अप्रार्थी की ओर से।
श्री जितेन्द्र सामरिया यादव एड0 प्रतिवादीगण/ प्रार्थीगण की ओर से।

दिनांकः—25.05.2023

आज पत्रावली पेश हुई प्रा0पत्र के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैः—

वादीगण ने दावा अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी.एक्ट. पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 हाल 974/0.34,1005/0.48,1009/0.37,1010/0.54,1013/1282/0.05,1014/0.44 वाके ग्राम कुन्दनसिंहपुरा तह0 नीमराना हम पक्षकारान के मध्य सामलाती होने की वजह से विभाजन किए जाने बावत वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। ख.नं. 974/0.34 वादी सं. 01 व 02 तथा प्रति.सं. 02 व 03 के द्वारा 1/4,1/4 हिस्सा खरीद किया हुआ है जिस पर काविज काश्त है। तथा निष्क भाग का विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड मे अलग अलग इन्द्राज कराने के अधिकारी हैं। तथा ख.नं. 1005/0.48,1009/0.37,1010/0.54 हम पक्षकारान के बुजुर्ग जगदीश प्रसाद,पन्नालाल,महेन्द्रप्रसाद,शिवचरण पिता बंशीधर ने संभाग मे खरीद किया हुआ है। तथा ख0नं0 1010/1282/0.05,1014/0.44 मृतक जगदीश,शिवचरण पु. बंशीधर द्वारा संभाग मे खरीद किया था। अब उक्त सभी खरीददारान का निधन हो चुका है। जिनके हम पक्षकारान 1/4,1/4 हिस्से पर वादी सं0 01 लगा0 04 व प्रति.सं. 01 लगा.

06 व 07 व 08 है। तथा मृतक जगदीश के वारिस जरिये वसीयत दिनांक 02.12.2019 वादी नवनीत है। जिसका ख.नं. 1005,1009,1010 मे 1/4,1/4 भाग है तथा काविज है। इसलिए वादी सं0 05 का वसीसत के अनुसार मृतक जगदीश के हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एंव आराजी विवादित का विभाजन हेतु कुर्रे कायम कराये जा कर अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी भूमि का तकासमा कराया जावे।

उक्त वाद विचाराधीन रहते हुए दिनांक 13.12.2022 को प्रतिवादी सतीस पुत्र पन्नालाल की ओर से प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 पेश किया कि हाल ख.नं. 974/0.34,1005/0.48,10009/0.37,1010/0.54,1013/1282/0.05,1014/0.44 के बावत दावा घोषणात्मक विभाजन एंव हु0ई0दवामी का पेश किया है। जवकि ख0नं0 1013/1282/0.05,1014/0.44 के बावत पूर्व मे एक वाद सं. 230/2021 नवनीत वनाम प्रदीप के नाम से इस्तकरार हक व हु0ई0दवामी पेश किया हुआ है। एंव ख.नं. 1005,1009 के बावत दावा सं. 229/2021 पूनम बनाम प्रदीप व एक दावा सं0 164/2022 वीना बनाम सतीश के नाम से ख.नं. 1005,1009,1010 के बावत पेश किया हुआ है। इन तीनों दावों मे भी इस्तकरार हक व तकसीम का अनुतोष चाहा गया है। तीनों दावों मे मृतक जगदीश प्रसाद की वसीयत के आधार पर नवनीत को खातेदार घोषित की जाने की मांग की गई है। एक दावा सं. 230/2021 स्वयं नवनीत द्वारा पेश किया गया है जिसमे नवनीत वादी सं0 05 है।जिस दावे मे यह शपथ पत्र पेश किया गया है कि पूर्व मे कोई दावा विचाराधीन नही है। जबकि पूर्व मे इसी से संबंधित दावा पेश है।

नवनीत के वसीसत के आधार पर घोषणात्मक दावा पेश किया है वसीयत के आधार पर घोषणात्मक दावा सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को नही है। नवनीत द्वारा फर्जी तरीके से मृतक जगदीश से एक वसीयत अपने पक्ष मे करालि जिसकी एफ0आई0आर0 पुलिस थाना मे दर्ज की हुई है तथा अनुसंधान जारी है। फर्जी वसीसत दिनांक 02.12.2019 को निरस्त कराने के लिए एक दावा प्रति.सं. 01 लगा. 08 ने न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्टेट नीमराना के समक्ष प्रदीप बनाम नवनीत वैहराह पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है तथा ताफैसला दावा स्थगन आदेश दिए गए है। इस कारण वादीगण को यह वाद पेश करने के लिए हुतक प्रकट नही होता है। जो आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 की परिधी मे आता है। इसलिए यह वाद आदेश 07 नियम 11 के सबकलाज(क व घ) के परिधी मे आता है। अतः प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद मय हर्जा--खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण/वादीगण ने प्रा.पत्र को अस्वीकार करते हुए जबाव पेश किया कि प्रार्थीगण / प्रतिवादी का प्रा0पत्र गलत है स्वीकार नही है। वादी सं. 01 द्वारा इस वाद के अलावा कोई वाद प्रस्तुत नही किया है। इसलिए वाद पत्र विधि अनुसार प्रस्तुत किया गया है। वादी सं. 05 नवनीत द्वारा केवल ख.नं. 1013/1282/0.05,1014/0.44 के संबंध मे दावा पेश किया हुआ है। जिसमे वादी सं0 01 लगा0 04 पक्षकार नही है। हस्तगत वाद अपने अधिकरों की घोषणा एंव विभाजन का पेश किया है इसलिए प्रा0पत्र खारिज योग्य है। वादी सं. 05 वसीयत दिनांक 02.12.2019 द्वारा संपति मिलि है। जिसके आधार पर मोके पर मृतक जगदीश के हिस्से पर काविज काश्त है। वसीयत मृतक जगदीश के द्वारा की गई थी जिसकी बाबत कोई जांच लम्बित है। जिसका संबंध मौजूदा प्रकरण से नही है। वादी सं. 05 वसीयत के आधार पर मृतक जगदीश की जायदाद पर काबिज काश्त है। विधि मे पूर्व मे प्रस्तुत वाद पत्र के प्रस्तुत किए जाने की स्थिति मे नया वाद प्रस्तुत नही किए जाने पर कोई कानूनी पाबंदी नही है।विवादित आराजी वादी की सहखातेदारी की है,सखातेदार होने के कारण प्रतिवादीगण से पारिवारिक बंटवारे के अनुसार किए गए विभाजन को विधिक रूप से विभाजन करा कर खाता अलग अलग कराये जाने हेतु वाद पेश किया गया है। उक्त वाद का विधिक

प्रक्रिया अपना कर निस्तारण किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी /प्रति0 का प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 खारिज योग्य है। अतः प्रा0पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत वाद मे वाद पत्र कि जिम्मन नं. 02 मे अंकित किया है कि आराजी हम पक्षकारान के मध्य सामलाती होने की वजह से विभाजन किए जाने बाबत दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।जबकि इन्हीं पक्षकारान के मध्य इसी आराजी को लेकर वाद सं. 1064/2022 बीना बनाम सतीश वाद सं. 229/2021 पूनम बनाम प्रदीप तथा वाद सं0 230/2021 नवनीत बनाम प्रदीप वैगराह न्यायालय हाजा मे विचाराधीन है। वाद के संलग्न नकल जमाबंदी के अनुसार जगदीश पुत्र बंशीधर ख0नं. 1005,1009 के 1/4 भाग व ख.नं. 1013/1282,1014 के 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज है। हस्तगत वाद मे जगदीशप्रसाद पुत्र बंशीधर के हिस्से की बावत भी अनुतोष तकासमा आराजी का चाहा गया है। जो अनुतोष वसीयत दिनांक 02.12.2019 के आधार पर चाहा गया है। परन्तु इस वसीयत के संदर्भ मे एक वाद सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्ट्रेंट नीमराना मे प्रदीप वगैराह बनाम नवनीत वगैराह विचाराधीन है। हस्तगत वाद मे वादी नवनीत मृतक जगदीश की आराजी से संबंध मे तकासमा का अनुतोष चाहा है। जो अनुतोष सिविल न्यायालय ही दिया जा सकता है। वसियत के आधार पर अधिकारों की घोषणा किए जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है इसलिए वादीगण का वाद कानूनन न्यायालय हाजा मे चलने योग्य नही है,जो विधि द्वारा वर्जित है। इसलिए वादीगण का वाद आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 की परिधी मे होने के कारण चलने योग्य नही है। वाद वादीगण इसी स्टेज पर खारिज किए जाने योग्य है।

अतः आदेश है किः–

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद बावत घोषणात्मक विभाजन एंव हु0ई0दवामी आराजी ख0न0 हाल 974/0.34,1005/0.48,1009/0.37,1010/0.54,1013/1282/0.05,1014/0.44 वाके ग्राम कुन्दनसिंहपुरा तह0 नीमराना आदेश 07 नियम 11जा0दी0 की परीधि मे व वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही होने के कारण दावा खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.05.2023 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जा कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

25/5/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
नीमराना (अलवर)
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)
पीठासीन अधिकारी :- मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या :- 333 / 2022
रजू दिनांक :- 17.08.2022

उनवान
1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्रप्रसाद उर्फ महेन्द्र कुमार
2. रविन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्रप्रसाद उर्फ महेन्द्र कुमार
3. बीना पुत्री महेन्द्रप्रसाद उर्फ महेन्द्र कुमार
4. पूनम पुत्री महेन्द्रप्रसाद उर्फ महेन्द्र कुमार
5. नवनीत पुत्र रविन्द्र समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम सिलारपुर तह0 नीमराना।

वादीगण / अप्रार्थीगण।

बनाम

1. कमलादेवी बेवा पन्नालाल
2. सतीश पुत्र पन्नालाल
3. पवन पुत्र पन्नालाल
4. कृष्णा पुत्री पन्नालाल
5. प्रेम पुत्री पन्नालाल
6. अंजना पुत्री पन्नालाल
7. प्रदीप पुत्र शिवचरण
8. तेजपाल पुत्र शिवचरण समस्त जाति अहीर निवासी सलारपुर तह0 नीमराना
9. उपपंजीयक,नीमराना।
10. लैण्ड होल्डर तहसीलदार,नीमराना।

प्रतिवादीगण / प्रार्थीगण।

दावा बाबत घोषणात्मक विभाजन एंव हु0ई0दवामी अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर0टी0एक्ट0।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0।

उपस्थिति :– श्री जगमालसिंह यादव एड0 वादी / अप्रार्थी की ओर से।
श्री जितेन्द्र सामरिया यादव एड0 प्रतिवादीगण / प्रार्थीगण की ओर से।

दिनांक:– 25.05.2023

पर्चा डिक्री

प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण का प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद बाबत घोषणात्मक विभाजन एंव हु0ई0दवामी आराजी ख0न0 हाल 974 / 0.34,1005 / 0.48,1009 / 0.37,1010 / 0.54,1013 / 1282 / 0.05, 1014 / 0.44 वाके ग्राम कुन्दनसिंहपुरा तह0 नीमराना आदेश 07 नियम 11जा0दी0 की परीधि मे व वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही होने के कारण दावा खारिज किया जाता है।

25/5/2023

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

मुकुट सिंह (आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना